

दिशा निर्देश

(सत्र 2021-22)

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर एसएमसी /एसडीएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :-

राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता/अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय विद्यालय प्रबंधन समिति एवं 23 सदस्यीय विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। गठित समितियों के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों के संकुल सन्दर्भ केन्द्रों पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2021-22 PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, आरटीई एक्ट के प्रावधानों, समग्र शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों, मिड-डे-मील, बाल अधिकारों, बालसभा, हरित पाठशाला कार्यक्रम, अक्षय पेटिका, एसएमसी/एसडीएमसी 80G रजिस्ट्रेशन, समावेशी शिक्षा (विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका), वैकल्पिक शिक्षा व औपचारिक शिक्षा (ड्राप आउट बालक-बालिका), कोविड-19, ऑनलाईन शिक्षण (Smile Programme), स्वैच्छिक अनुदान, "बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन,

विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2020-21 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी/एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी में से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

- वर्ष 2021-22 में विद्यालय प्रबंधन समिति/ विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं:-

क्र. स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति प्रति दिवस)	(राशि लाख में) लक्ष्य 2021-22	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय एसएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण— संभागी × दिन × दर प्रतिदिन $314046 \times 2 \times 250 = 1570.230$ लाख रुपये	0.00250	314046	1570.230
2	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय एसडीएमसी गैर आवासीय प्रशिक्षण— संभागी × दिन × दर प्रतिदिन $90108 \times 2 \times 250 = 450.540$ लाख रुपये	0.00250	90108	450.540

- प्रशिक्षण मॉड्यूल :** विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये “ विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल”के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

- राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण :**

प्रत्येक जिले से 4 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक्स हैं वहां से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैकल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण

में दक्षता रखने वाले जिले के किसी अन्य शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण कार्य में रुचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजें। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

4. ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रुचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/CRCF/Head Teacher/शहरी संकुल संदर्भ प्रभारी के अलावा शेष सभी PEEO(CRCF)/शहरी CRCF/उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय इन चिन्हित 20 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराये। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO (CRCF)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी (CRCF) प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर आयोज्य दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2021-22 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। चूंकि संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः कुल प्रति व्यक्ति दो दिवस हेतु 500/- रुपये यूनिट कॉस्ट में से 40- रुपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी दो दिवस का 460/- रुपये व्यय किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण

के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जावेगी।

5. जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जावे ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाए। कार्ययोजना की प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाए तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाएँ। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/ PEEO (CRCF)/शहरी CRCF को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाए।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम :

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा एक ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति एवं 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाए। लेकिन एक बैच में 30 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक् बैच बनाया जाए।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO (CRCF) / शहरी CRCF अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/गतिविधि इन्चार्ज/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में दूसरे संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

7. भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण : -

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जावें।
- 8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO (CRCF) /शहरी CRCF के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :-

एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :-

क्र. स.	ब्लॉक का नाम	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र का नाम	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ के अधीन प्रावि, उप्रावि की एसएमसी और Composite विद्यालयों की एसडीएमसी की संख्या	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र का भौतिक लक्ष्य					PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र का वित्तीय लक्ष्य		PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण की दिनांक	
				प्रा / उप्रावि प्रशिक्षण में भाग ले रहे SMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	बुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर कुल SMC संभागी	Composite School प्रशिक्षण में भाग ले रहे SDMC के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	बुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/ शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर कुल SDMC संभागी	SMC सदस्यों की संख्या x रूपये 460	SDMC सदस्यों की संख्या x रूपये 460	S M C

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के अंतिमीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण नवम्बर 2021 से जनवरी 2022 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाए ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सके। प्रशिक्षण के समस्त चरण जनवरी, 2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिये जाये।
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 10 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी/एसडीएमसी में अन्य कोई जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- समस्त एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन एसएमसी व एसडीएमसी के प्रशिक्षण मद में से समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जावे।

समय-समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :- बच्चे का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, बच्चों का ड्रॉप-आउट हो जाना, बच्चों का विद्यालय परिवर्तन कर देना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।

जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व :

- टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 3 दिवस पूर्व एवं PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 5 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण राशि एक साथ जारी नहीं की जाकर PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र हेतु निर्धारित लक्ष्य की 60 प्रतिशत राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपस्थिति के आधार पर वास्तविक व्यय की शेष राशि जारी करना।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि सीधे ही PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र एसएमसी/एसडीएमसी के खाते में जारी करना तथा इसकी सूचना ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करना।
- PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्रवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र से राशि कमी वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपस्थिति के आधार पर शेष राशि जारी की जाने से पूर्व ब्लॉक कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और

की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र से राशि कमी वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।

जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र से राशि कमी वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।

राशि कमी वाले PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।

ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और आर.पी. द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।

- प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020-21 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी जाये।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 10 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन एवं फोटो परिषद मुख्यालय को भिजवाना।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाए।

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी / एसडीएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :-

प्रपत्र-अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	एसएमसी सदस्यों के PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण					
योग						

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-ब

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	एसडीएमसी सदस्यों के PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर दो दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण					
योग						

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-स

क. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल सन्दर्भ केन्द्र को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं०	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+ 5+6)	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित त जाति		अनुसूचित जन जाति				
							पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

जिला :-

प्रपत्र-द

क. सं.	ब्लॉक का नाम	एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल सन्दर्भ केन्द्र को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक / शिक्षा शास्त्री की सं०	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल (4+5+6)	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
							पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
	योग																

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 1

क. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं०	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं०	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :- प्रपत्र-स के कॉलम सं० 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र-1 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 2

क.स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं०	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं०	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :- प्रपत्र-2 के कॉलम सं० 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र-2 में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

एसएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 3

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित एसएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

एसडीएमसी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :-

प्रपत्र - 4

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित एसडीएमसी संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

सीबीईओ के दायित्व :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व सीबीईओ निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :-

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।

- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 30 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर आयोज्य एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्रवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश की PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2020-21 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफ्स विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफ्स आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करवाना।

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी/संस्थाप्रधान के दायित्व :-

- जिला परियोजना/सीबीईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।

- वर्ष 2020-21 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- प्रधानाध्यापक PEEO/शहरी (CRCF) से समन्वय करते हुए चिन्हित/चयनित एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम से कम प्रशिक्षण से 5 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा-महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त प्रधानाध्यापक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य एवम् जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO CRCF / शहरी CRCF प्रशिक्षण की दिनांक पर नामित Head Teacher/ गतिविधि इन्चार्ज शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा-बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा-चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 3 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण-पत्र बीईईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO / शहरी CRCF या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :-

विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति सदस्यों के दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 500/- रुपये प्रति व्यक्ति दो दिवस में से PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 460/- रुपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार की जाए एवं शेष * राशि 1200 रु में से ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 15000/-

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रशिक्षण-संभागी × दिन × दर

30 × 2 × 230 = 13,800/-

क्र.सं.	विवरण	दिवस	दर प्रतिदिन	संभागी	30 संभागियों पर व्यय
1	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान(वास्तविक)	2	140	30	8400
2	जलपान (चाय-नाश्ता)	2	40	30	2400
3	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	2	400	2	1600
4	विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, स्टेशनरी इत्यादि ,	2	550	-	1100
5	व्यवस्थापक को मानदेय	2	150	1	300
	योग				13800
	शेष *				1200
	महायोग				15000

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य से प्रमाणित करावें।

- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान अनिवार्य रूप सेचैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र का नाम :

प्रशिक्षण दिनांक :

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी/एसडीएमसी के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2021-22

S.N	Activity	Apr 21	May 21	Jun 21	Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22
1	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण					√							
2	एसएमसी/एसडीएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्रवार कार्य योजना निर्माण						√						
3	संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण							√					
4	एसएमसी/एसडीएमसी सदस्यों का PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण								√	√	√		
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यय समायोजन											√	

13

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :-

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, एमएचआरडी की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

नोट:- गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. भँवर लाल)

राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा
एवं आयुक्त, स्कूल शिक्षा, जयपुर

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सांमु.गति./SMC-SDMC/दिशा-निर्देश/2021-22/ 2964 दिनांक : 2.9.2021

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
8. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिला।
9. रक्षित पत्रावली।

अति. राज्य परियोजना निदेशक-द्वितीय

COMMUNITY MOBILISATION

SMC /PRI Training

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2021-22

S. No.	District	Total identified School(according Plan) SMC Training	Total identified (according Plan) SMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level	
				Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1325	7950	7950	39.750
2	Alwar	2037	12222	12222	61.110
3	Banswara	2731	16386	16386	81.930
4	Baran	1278	7668	7668	38.340
5	Barmer	4014	24084	24084	120.420
6	Bharatpur	1172	7032	7032	35.160
7	Bhilwara	2300	13800	13800	69.000
8	Bikaner	1547	9282	9282	46.410
9	Bundi	965	5790	5790	28.950
10	Chittaurgarh	1409	8454	8454	42.270
11	Churu	886	5316	5316	26.580
12	Dausa	1166	6996	6996	34.980
13	Dhaulpur	832	4992	4992	24.960
14	Dungarpur	2275	13650	13650	68.250
15	Ganganagar	1450	8700	8700	43.500
16	Hanumangarh	708	4248	4248	21.240
17	Jaipur	2735	16410	16410	82.050
18	Jaisalmer	994	5964	5964	29.820
19	Jalor	1489	8934	8934	44.670
20	Jhalawar	1360	8160	8160	40.800
21	Jhunjhunu	1010	6060	6060	30.300
22	Jodhpur	2758	16548	16548	82.740
23	Karauli	1064	6384	6384	31.920
24	Kota	766	4596	4596	22.980
25	Nagaur	2235	13410	13410	67.050
26	Paln	1327	7962	7962	39.810
27	Pratapgarh	1507	9042	9042	45.210
28	Rajsamand	1404	8424	8424	42.120
29	Sawai Madhopur	754	4524	4524	22.620
30	Sikar	1309	7854	7854	39.270
31	Sirohi	767	4602	4602	23.010
32	Tonk	1108	6648	6648	33.240
33	Udaipur	3659	21954	21954	109.770
Total		52341	314046	314046	1570.23

COMMUNITY MOBILISATION

SDMC Training

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2021-22

S. No.	District	Total identified School (according Plan) SDMC Training	Total identified (according Plan) SDMC Training members (per school*6)	Two Day Training at Nodal Level	
				Target	
				Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	516	3096	3096	15.480
2	Alwar	786	4716	4716	23.580
3	Banswara	455	2730	2730	13.650
4	Baran	308	1848	1848	9.240
5	Barmer	694	4164	4164	20.820
6	Bharatpur	544	3264	3264	16.320
7	Bhilwara	562	3372	3372	16.860
8	Bikaner	428	2568	2568	12.840
9	Bundi	274	1644	1644	8.220
10	Chittaurgarh	408	2448	2448	12.240
11	Churu	504	3024	3024	15.120
12	Dausa	375	2250	2250	11.250
13	Dhaulpur	287	1722	1722	8.610
14	Dungarpur	394	2364	2364	11.820
15	Ganganagar	468	2808	2808	14.040
16	Hanumangarh	358	2148	2148	10.740
17	Jaipur	962	5772	5772	28.860
18	Jaisalmer	189	1134	1134	5.670
19	Jalor	386	2316	2316	11.580
20	Jhalawar	323	1938	1938	9.690
21	Jhunjhunu	511	3066	3066	15.330
22	Jodhpur	695	4170	4170	20.850
23	Karauli	316	1896	1896	9.480
24	Kota	316	1896	1896	9.480
25	Nagaur	743	4458	4458	22.290
26	Palpur	494	2964	2964	14.820
27	Pratapgarh	207	1242	1242	6.210
28	Rajsamand	296	1776	1776	8.880
29	Sawai Madhopur	305	1830	1830	9.150
30	Sikar	611	3666	3666	18.330
31	Sirohi	232	1392	1392	6.960
32	Tonk	334	2004	2004	10.020
33	Udaipur	737	4422	4422	22.110
Total		15018	90108	90108	450.54

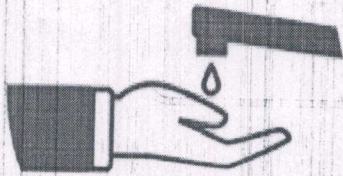
एसएमसी/एसडीएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2021-22

1. अवलोकनकर्ता का नाम :- पद
2. पदस्थापन स्थान :- मो.न.
3. अवलोकन की तिथि एवं समय
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र विद्यालय का नाम :-
5. PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र संस्था प्रधान का नाम मो. न.
6. PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र के अधीन विद्यालयों की संख्या :-
7. प्रशिक्षण स्थल :- ब्लॉक :- जिला.....
8. प्रशिक्षण दिनांक :-
- 7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :-
 (अ) नाम :- पद :- पदस्थापन स्थान :- मो.न.
 (ब) नाम :- पद :- पदस्थापन स्थान :- मो.न.
- 8 कुल पंजीकृत संभागी :- पुरुष महिला योग.....
- 9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :-
 (अ) जनप्रतिनिधि (PRI):- पुरुष महिला योग
 (ब) अभिभावक सदस्य :- पुरुष महिला योग
 (स) मनोनीत सदस्य :- पुरुष महिला योग
 (द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरुष महिला योग
 (य) शिक्षक सदस्य :- पुरुष महिला योग
 योग :- पुरुष महिला योग
- 10 संभागियों की बैठक व्यवस्था :-
11. मॉड्यूल की उपलब्धता :-
- 12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :-
- 13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :-
- 14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध में संभागियों के विचार :-
15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :-
- 16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी/सुझाव :-

प्रशिक्षण आयोजक PEEO (संकुल सन्दर्भ केन्द्र)/शहरी संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी के हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता दिनांक :-

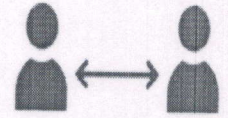
कोरोना से बचाव के उपाय अपनायें



बार बार
हाथ धोयें



मास्क पहन
कर बाहर जायें



2 गज की दूरी
बनायें रखें